न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/75/रा.भू.अधि./08/2018/बाड़मेर

अपीलांट

1. रतनाराम पुत्र तेजाराम उम्र 73 वर्ष
2. तुलछीदेवी पत्नी भंवराराम उम्र 72 वर्ष जाति प्रजापत निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.)। बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पर्यटन इकाई जरिये–
1/1जिला कलेक्टर बाड़मेर
1/2तहसीलदार शिव

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजीखां रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 05.08.2019

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.03.2017 को ग्राम गूंगा के खसरा संख्या 482 रकबा 15.18 बीघा भूमि किस्म बारानी सोयम में से 02 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर पर्यटन इकाई हेतु राज्य सरकार जिला कलक्टर के नाम आरक्षित किये जाने का आदेश दिया है। ग्राम गूंगा के खसरा संख्या 482 रकबा 15.18 बीघा में से 02 बीघा भूमि आरक्षित करते हुए पर्यटन ईकाई को आवंटित की गई है, जो मौके पर नापने से अपीलांटगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1128/515, खसरा संख्या 1129/515 में शिफ्ट होती है जिससे अपीलांटगण को अपने खातेदारी खेत से अपीलांटगण को अपने खातेदारी खेत से राष्ट्रीय मार्ग तक पहुंचने के लिये रास्ता भी नहीं रहता है। जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांटगण के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अपीलांट/प्रार्थी अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम गूंगा के खसरा संख्या 482 रकबा 15.18 बीघा भूमि किस्म बारानी सोयम में से केवल 02 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर पर्यटन इकाई हेतु राज्य सरकार जिला कलक्टर बाड़मेर आरक्षित की गयी है। उपरोक्त भू–आवंटन विधि अनुसार किया गया है। अपीलांट जमीन की कीमतों में वृद्धि होने से तथा अपीलाधीन आराजी राष्ट्रीय राजमर्ग पर स्थित होने से सरकारी भूमि हड़पने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के लिए प्रयासरत है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में अधिसूचना दिनांक 22.05.2015 के तहत पर्यटन इकाईयों के विकास एवं स्थापना हेतु भूमि आवंटन के प्रावधानों के तहत भूमि चिन्हीकरण के लिए प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अपीलाधीन आदेश से जिला कलक्टर बाड़मेर ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम गूंगा के खसरा संख्या 482 रकबा 15.18 बीघा भूमि किस्म बारानी सोयम में से केवल 02 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर पर्यटन इकाई हेतु आरक्षित की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम गूंगा के खसरा संख्या 482 रकबा 15.18 बीघा में रकबा 02.00 बीघा भूमि पर्यटन ईकाई हेतु आरक्षित किये जाने बाबत तहसीलदार शिव की रिपोर्ट पत्रांक राम/2011/568 दिनांक 22/12/2016 दृष्टव्य है। इससे स्पष्ट है कि **मौके पर भूमि उपलब्ध एवं खाली है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील ग्राम गूगा संवत 2074 के अनुसार इस आरक्षित 02.00 बीघा भूमि पर अपीलांट संख्या 01 के द्वारा संयुक्त रूप से नाजायज कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अपीलांट के कथन असत्य है कि मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं है।** अपीलांट पक्ष राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से अपील लाए है। उनका इस अपीलाधीन आदेश से आरक्षित भूमि में अतिक्रमी के अलावा सीधा कोई संबंध या हित निहित नहीं है। इसलिए अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 अस्वीकार किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

5/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner